(43)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

प्रबन्धक,
उर्मिला. प.ब्लिक स्कूल औड़ीमोड़....,
अनपरा.,म्योरपुर. सोनभद्र.।........।

पत्रांक/परि0/मा0/ 3576-87 /2003-2004 दिनांक: 30-10-2003

विषय प्राथमिक विद्यालय की अस्थायी/~~स्थायी~~ मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र पर प्राप्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के सन्दर्भ में जिला मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्कूल(कक्षा 1 से 5 तक)तक अस्थायी/~~स्थायी~~ मान्यता जुलाई 2003 से अग्रिम आदेश तक के लिए प्रदान की जाती है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्राथमिक विद्यालय की स्थायी मान्यता के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति अगले शिक्षा सत्र तक पूरी कर ली जाय। शर्तों की पूर्ति न करने पर अथवा विभागीय आदेशों एवं निर्देशों का पालन न करने पर आपकी यह मान्यता प्रत्याहरित भी की जा सकती है।

स्थायीकरण हेतु आवश्यक शर्तें

1. प्रत्येक कक्षा/अनुभाग के लिए 20×30 फिट माप का एक पक्का कमरा तथा प्र0अ0 के लिए एक पक्का कक्ष हो।
2. बालक/बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय एवम् मूत्रालय की व्यवस्था हो।
3. 1 एकड़ निजी भूमि हो।
4. निर्धारित धनराशि का सुरक्षित कोष में जमा हो जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्रतिश्रुत हो (1,000.00)।
5. रुपया 2,500.00सन्दान कोष में जमा हो जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्रतिश्रुत हो।
6. संस्था नियमानुसार पंजीकृत हो(7) खेलकूद के लिए अलग से एक एकड़ भूमि हो।
8. सभी शिक्षक प्रशिक्षित हो। अप्रशिक्षित की नियुक्ति कदापि न किया जाय।
9. विज्ञान खेलकूद तथा पुस्तकालय की अलग-अलग सामग्री 2000.00 की हो।
10. बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई वर्ग न खोला जाय और न बन्द किया जाय। (11) छात्रों एवम् अध्यापकों को बैठने के लिए उपयुक्त साज सज्जा हो।
11. शासन/विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जाय।
12. प्रबन्धतंत्र सभी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को निर्धारित वेतनमान दें।
13. विभागीय आदेश/निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग किसी भी समय विद्यालय का निरीक्षण कर सकता है। अभिलेख मांग सकता है।
14. विद्यालय में या प्रबन्धतंत्र में किसी प्रकार का विवाद होने पर व निर्देशों का पालन न करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरित करने के लिए स्वतन्त्र है।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सोनभद्र।

पृ0सं0/परि0/मा0/ 3576-87 /2003-2004 उसी तिथि को।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद व सम्बन्धित विकास क्षेत्र को।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोनभद्र।
3. मण्डलीय शि0नि0(बे0)मण्डल वाराणसी/सं0शि0नि0, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।

Manager
Urmila Public School
Auri Mode Anpara (U.P.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सोनभद्र।